भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Regional Office (Central Region)

जहाँ है हरियाली ।
वहाँ है खुशहाली ॥

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/यू.पी./04/26/2015/एफ.सी./064

दिनॉक: 30-9-15

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ

विषय : देवा शरीफ (मजार क्षेत्र) को 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने हेतु निर्माणाधीन 33 के0वी0 स्वतंत्र पोषक चन्दौली–देवा की विभागीय अनुमति हेतु बाराबंकी–देवा मार्ग किमी0 4.700 से 13.700 के मध्य दांयी पटरी पर देवां शरीफ को विद्युत आपूर्ति हेतु 0.498 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ : मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक– 546/11सी–यू0पी0–084/2015, दिनांक– 07.09.15

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक– 171/11सी–यू0पी0–004/2015, दिनांक– 22.07.2015 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 18.08.2015 द्वारा अतिरिक्त सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालना राज्य सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार देवा शरीफ (मजार क्षेत्र) को 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने हेतु निर्माणाधीन 33 के0वी0 स्वतंत्र पोषक चन्दौली–देवा की विभागीय अनुमति हेतु बाराबंकी–देवा मार्ग किमी0 4.700 से 13.700 के मध्य दांयी पटरी पर देवां शरीफ को विद्युत आपूर्ति हेतु 0.498 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं शून्य वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती हैः–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात् 0.996 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जाएगी।

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

उपरोक्त अनुदेशो के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या– लेखा संख्या– एस0बी0–25230, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), नई दिल्ली, लोधी काम्पलेक्स, मे जमा की जाएगी। जिसके उपरान्त पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक

30/9/15

ड्राफ्ट / चेक / आर0टी0जी0एस0 / एन0एफ0टी0 (जो भी लागू हो) की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मद्वार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

3. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

4. भूमिगत केबिल डालने हेतु खुदाई के उपरान्त उत्सर्जित मलवे को ठीक प्रकार से उसी जहग पर भरा जाएगा एवं शेश मलवे को सुरक्षित स्थान पर निस्तारित किया जाएगा। यह कार्य प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा।

5. भूमिगत केबिल डालने हेतु ट्रेन्च द्वारा खुदाई भाग–0.6 मीटर चौड़ाई में ही की जाएगी।

6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित योजना में किसी भी वृक्ष का पातन नही किया जाएगा एवं खुदाई के दौरान किसी भी वृक्ष की जड़ों को नुकसान नही पहुचायां जाएगा।

7. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward)एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।

उपरोक्त शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाय। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते ।

भवदीय,

30/9/15

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
3. नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त, अरण्य भवन, 17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. वन संरक्षक, सरयू वृत्त, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश।
5. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बाराबंकी, उ0प्र0
6. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड मध्यांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, बाराबंकी, उ0 प्र0।
7. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
8. आदेश पत्रावली ।

30/9/15

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (के0)

Government Of India, Ministry Of Environment & Forests
Regional Office (Central Region)

FILE NUMBER 8B/UP/04/26/2015/FC

MINISTRY FILE NUMBER 7-UPB026/2015-LUC

Filing

1.Name of the Proposal *LAYING OF 33 KV UNDERGROUND TRANSMISSION LINE ON BARABANKI DEVA RAOD FOR DEVA SHARRIF MAZAR*

2.Category	Transmission
3.State Govt. Letter Number	FP/UP/TRANS/12929/2015
4.Date of application	27/07/2015
5.Date of receipt	27/07/2015
6.District	BARABANKI
7.State	UP
8.Regional Office Letter Number	8B/UP/04/26/2015/FC
9.Regional Office Letter number(old)	NA
10.Year	2015

Processing

1. LOCATION

a) Village DEWA

b) Location BARABANKI

2. PARTICULAR OF FOREST

a) Name of Forest Div. BARANKI

b) Forest Area Involved in ha. .498

c) Map Yes

d) Legal Status :- i) RF : 0 ii) PF : .498 iii) Van Panchyat : 0

iv) Civil Swyam : 0 v) PF for Management Purpose : 0 vi) Others: 0

3.IN CASE OF ROAD/ CANAL/ RAILWAY LINE/ TRANSMISSION LINE

a) Total Length(in Kms.) 8.3

b) Total Width(in Mtrs.) .5

c) Total Area(in Ha.) .415

4. VEGETATION DENSITY .4

5. NUMBER OF TREES TO BE FELLED 0

6.WHETHER ANY RARE/ENDANGERED/UNIQUE SPECIES OF FLORA & FAUNA FOUND IN THE AREA.

No

If so details thereof NA

7.WHETHER THE AREA IS W/L SANCTUARY OR NATIONAL PARK

No

If yes consent of IBWL NA

8. WHETHER THE PROPOSED FOREST LAND IS UNAVADIABLE & BAREST MINIMUM.

Yes

9. COMPENSATORY AFFORESTATION

a) Particulars of forest land DFL

b) Map Yes

c) Comprehensive Scheme Submitted

d) Area in ha. .996

e) Planting Trees 0

f) Land Suitability Certificate

10. VIOLATION IF ANY.. No

a) If yes justification of condonation

b) Penal CA

i) Particulars of forest land

ii) Map

iii) Comprehensive Scheme

iv) Area in ha. 0

v) Tree Planting 0

Government Of India, Ministry Of Environment & Forests
Regional Office (Central Region)

.R 8B/UP/04/26/2015/FC — MINISTRY FILE NUMBER 7-UPB026/2015-LUC

.ATCHMENT AREA TREATMENT

ʼlap NA — b) Comprehensive Scheme NA

REHABLITATION

) Particulars of Land NA — b) Map NA

) Comprehensive Scheme NA — d) Land Use Plan NA

. GEOLOGIST REPORT

Required

14. COST BENEFIT ANALYSIS

Not Required

;. RECOMMANDATION OF

ı) DFO Yes — b) PCCF/NO No — c) Government No

l) Local Body Not Given — e) Others

Site Inspection Report By DFO / CF :

emarks NO REMARK ENTERED

Recommendation

ommended for

for following informations

IN PART II VEGETATION DENSITY SHOWN .4 IN ON LINE SUBMISSION AND IN MANUAL FORMAT IT IS SHOWN 0

FRA CERTIFICATE IS ALSO NOT ATTACHED

bmitted to CCF for order.

28/7/2015

Reference nsp 1-2

The forest land diversion proposal for laying of underground 33 kV electricity transmission line for Deva Sharif Compound on Barabanki Deva Road between km 4.60 to km 13.00 in Barabanki District has been submitted online by Madhynachal Vidyut Vitran Nigam Limited, Lucknow {(copy of email alert from system administrator of OSMFCP (Online Submission and Monitoring of Forests Clearances Proposal)}. Hard copy of the proposal is submitted vide letter no. 171/11-C-UP-084/2015, Lucknow dated 22nd July 2015 from CCF cum Nodal Officer, Department of Forests, Uttar Pradesh. The details of forest land proposed for diversion is provided below

N - 2

Sr No.	Forest Division	Details of forest land area (in ha)	Legal Status	Crown Density	Eco Class	No. of trees
1	Social Forestry Division Barabanki	0.498	Protected Forests	0.4	Eco III	NIL

After careful examination of the proposal following discrepancies/issues have been noted and the same needs to be redressed. The details are provided below:

1. Page numbering and index has not been done on the documents of diversion proposal.
2. Part I E, the data of employment likely to be generated is shown as NIL whereas the financial outlay of the project is Rs 5.58 crores which is erroneous.
3. Part II, Sr No. 4 (ii) as per the details of vegetation available on the forest land the data provided is NIL whereas the density (crown) is shown as 0.4 (online copy) and 0 (on hard copy) which are not matching.
4. Part II, 14 in district profile progress of compensatory afforestation on forest land and non forest land is shown NIL (on online copy) and 378.1931228 ha on hard copy which is a mismatch.
5. The proposal needs submission of geo referenced map (at enclosure 24) with latitude and longitude of key points in .shp file of forest patches required for diversion. The map provided with the online proposal contains only few GPS points of center line of the existing road.
6. The map provided at enclosure 35 does not bear title, index and the same has not been signed.

In view of the above observations; if approved, we may accord in principle approval and seek rectification of flaws and submission of requisite documents at the time of compliance for final approval.

The file is submitted for your perusal and necessary directions, please.

[signature] 20/7/15

Conservator of Forests
RO-MOEF &CC, Lucknow

N-3 In principle approval cannot be accorded with such glaring shortcomings / discrepancies. Has RoW been kept as per specifications / provisions?

CF [signature] 3.8.15

N-4 Pls draft letter as per N-3 [illegible] for approval purposes.

Mrs Mala
~~APCCF~~

3/8/15

प्रारूप प्रस्तुत है

9.4.

5/8/2015

N-5 Draft letter for N-3 is placed for perusal and directions, Please.

11/8/15

~~APCCF~~

N-6 As per category mentioned, it is "transmission line". Row be checked.

12.8.15

C/F

N-7 1. The proposal is for laying of underground cable of 33 KV lines.

2. Guide lines is silent for laying underground cable.

3. As per overhead transmission lines the ROW is ~~[illegible]~~ 15 mts where conduction is through non-insulated wires.

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

In view of the above directions may be accorded, Please.

12/8/15

~~APCCF~~

N-8 In the guidelines there is no distinction between overhead and underground.

~~CF~~

13.8.15

N-9 प्रारूप में ROW के विषय में लिखकर प्रस्तुत करें।

Mrs Mala

13/8/15

N-10 संशोधित पत्र प्रस्तुत है।

मुख्यडी 14/8/2015 प.प्र.

संशोधित प्रारूप प्रस्तुत हैं।

N.11

17/8/15

अपमुक्सं

CT

Mrs Mala

17.8.15

18/8/15

N.12 स्पष्ट प्रति 80/- है कृ प्रस्तुत है।

मुख्यडी 18/8/15 प.प्र.

18/8/15

Dispatch

पत्र सं० (595) निर्गत

18.8.15

मौड अधिकारित को करार (कार्यालय) अधिशासी अभियन्ता

Recd की।

18/8/15.

S.E UPPCL

Letter No. (595)

N-13 PUC 4/C

पत्रांक - 661/11-सी-यू.पी.-084/2015 दिनांक 21/09/2015 द्वारा प्रेषित संशोधित प्रस्ताव एवं चाही गयी बिन्दु संख्या 1 से 6 की अनुपालना जिन्हें इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 18-8-2015 द्वारा चाही गयी थी, प्रस्तुत कर दी गयी है। अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

P.T.O

- 5 -

मुख्य सी
2 3/9/2010

9/G

1. The detailed reply of EDS at 3/c is placed at 6/c.
2. Point wise reply of EDS has been provided by the concerned DFO.
3. The file is submitted for favour of perusal and according approval (stage-I) under FCA-1980
4. The UA has clarified that it is a distribution line.

Submitted for directions, please.

28/9/2015

APCCF

... be given.

Mrs Mala

28.9.15 Put up draft letter.

28/9/15

प्रारूप प्रस्तुत है।

30/9/2015

प्रारूप अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

30/9/15

अनुभाग

30.9.15

Mrs Mala

30/9/15

स्वच्छ प्रति हस्ता० हेतु प्रस्तुत है।

30/9/2015

30/9/15

Dispatch

Mrs Mala

पत्रांक (864)

प्रेषित किया

30/9/15